Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2017: 5.068, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFERRED JOURNAL, JUNE-JULY, 2019, VOL- 7/34

सेवापूर्व अध्यापक-शिक्षा में कौशल विकास हेतु चलाये जा रहे कार्यक्रमों का पुनरावलोकन

केसर सिंह

शोध छात्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, महाराष्ट्र-442001

Abstract

प्रस्तुत अध्ययन में अध्यापक शिक्षा में कौशल विकास के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों तथा इनसे इतर कार्यक्रमों का अध्ययन किया गया है। वर्तमान अध्यापक शिक्षा में छात्राध्यापकोंके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिससे छात्राध्यापकों में शिक्षण कौशल के साथ साथ अन्य आवश्यक कौशलों का भी विकास किया जा सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही बहुत से आयोगों और समितियों का गठन हुआ ।जिन्होंने अनेकों सिफारिशें की। जिससे अध्यापक शिक्षा को ओर बेहतर बनाया जा सके तथा जिससे दक्षता पूर्ण अध्यापक तैयार हो सके। जो छात्रों का बहिर्मुखी विकास करने में सक्षम होइसलिए अध्यापक शिक्षा में शिक्षण कौशल के अलावा अन्य आवश्यक कौशलों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिससे अध्यापक एक छात्र को एक अच्छे नागरिक के रूप में परिवर्तित कर सकें। इन्हीं सब सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में चलाए जा रहे हैं कौशलों विकास कार्यक्रमों के अध्ययन के लिए वर्तमान अध्ययन की आवश्यकता महसूस हुई और यह जानने का प्रयास किया गया कि वर्तमान अध्यापक शिक्षा में छात्र अध्यापकों के लिए शिक्षण कौशल विकास के कार्यक्रमों के साथ-साथ इन कौशलों से इतर और कौन-कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे है।

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

प्रस्तावना

परंपरागत रूप से एक अध्यापक का मुख्य कार्य शिक्षा प्रदान करना, सामाजिकरण एवं मूल्यांकन रहा है। किंतु वर्तमान बदलती परिस्थितियों में पाठ्यचर्या नियोजन, समय प्रबंधन, परीक्षाप्रबंधन, पाठय सहगामी क्रियाकलापों का प्रबंधन और मार्गदर्शन तथा परामर्श आदि से संबंधित क्रियाओं का संचालन उसके दायित्व का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अध्यापक को तैयार करने और उसकी पेशेवर कुशलता संवर्धन से संबंधित कोर्सों में प्रबंधन से संबंधित विषय वस्तु का अनिवार्यता समावेश होना चाहिए। जिससे वह विद्यालय में आयोजित क्रियाकलापों का नियोजन एवं कियान्वनसफलतापूर्वक कर सके। कोठारी आयोग ने अध्यापक शिक्षा को अकादमिक जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने पर बल दिया ।जिसके लिए हमें अध्यापक शिक्षा के ढांचे को सुदृढ़ बनाना होगा। अध्यापक प्राध्यापक और विषय का अध्ययन करने वाले अध्यापकों के कार्यों में अंतर्संबंध तो है किंतु दोनों के कार्यों की प्रकृति में विशिष्ट अंतर भी है।अध्यापकों के पेशेवर विकास की अवधारणा एक बहुआयामी दृष्टिकोण है ।जिसमें अध्यापकों की सामाजिक प्रतिबद्धता के साथ साथ उनके चयन, प्रशिक्षण, शैक्षणिक विकास, क्षमता निर्माण एवं

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

वैधानिकता जैसे अनेक मुद्दे शामिल है। आज अध्यापक पेशेवर विकास की दृष्टि से चुनौती यह है कि अध्यापकों के पेशेवर विकास में क्या कुछ शामिल हो और क्या नही?आज के अध्यापक की प्रमुख समस्या वर्तमान गतिशील समाज की आकांक्षाओं मापदंडो के अनुकूल स्वयं की वृत्ति को निर्धारित करना है । इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा 1992 में स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई है कि 'अध्यापक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो सेवा से पूर्व व सेवा के उपरांत अनवरत आवश्यक तथा प्रेरणादायी होनी चाहिए । अपने प्रथम कदम में सम्पूर्ण अध्यापक शिक्षा तंत्र एवं शिक्षण प्रक्रिया सैदव समाज की व्यापक व नवीन आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए।'कोठारी शिक्षा आयोग(1966) ने अपनी रिपोर्ट में कहां की "भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा है,अध्यापक समाज की रीढ़ है। जिसके बिना बालक सीधा तो खड़ा हो सकता है परंतु समाज में पूर्व प्रतिष्ठित नहीं हो सकता क्योंकि कोरी स्लेट रूपी बालक के ऊपर स्वच्छ अक्षरों में सुस्पष्ट लेखन कार्य एक योग्य अध्यापक ही कर सकता है । समाज की यह धारणा है कि अध्यापक जन्मजात होते हैं लेकिन अध्यापक शिक्षा के द्वारा उनके व्यक्तित्व, सामाजिक, नैतिक, व्यवसायिक तथा सांस्कृतिक गुणों का विकास करके उन्हें अध्यापक के विभिन्न उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक व प्रभावशाली ढंग से निर्वहन करने के योग्य बनाया जाता हैं। भावी अध्यापकों में उपरोक्त वर्णित सभी गुण हो इनके लिए वर्तमान सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा में कौन-कौन से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ,उन्ही कार्यक्रमों का पता लगाने का प्रयास प्रस्तुत लेख के माध्यम से किया जा रहा हैं ।

सेवा पूर्व अध्यापक-शिक्षा

भारत में अध्यापक शिक्षा के औपचारिक रूप का प्रचलन बहुत पुराना नहीं हैं। फिर भी अध्यापक शिक्षा को हमारे देश में शुरू हुए लगभग सौ साल से अधिक हो गये है। सन 1850 में विद्यालय अध्यापकों के लिए अध्यापक प्रशिक्षण अध्ययन का एक अभिन्न हिस्सा था। बाद में भारतीय शिक्षा आयोग (1884) के सुझाव के बाद भिन्न-भिन्न अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गये और स्नातकों के लिए कम अवधि का पाठ्यक्रम बनाया गया ।राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जो केन्द्र सरकार का संवैधानिक निकाय है, देश में अध्यापक शिक्षा के नियोजित और समन्वित विकास के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के मानक एवं मानदंड, अध्यापकप्रशिक्षकोंके लिए न्यूनतम योग्यताएंनिर्धारित करती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ही विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्र-अध्यापकों के प्रवेश के लिए पाठ्यक्रम तथा न्यूनतम योग्यता एवं अवधि निर्धारित करती है। विभिन्न प्रकार की संस्थाएंजो ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने की इच्छुक होती

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

हैं।उन सब संस्थानों को यही मान्यता भी प्रदान करतीहैं। साथ ही यह उनके मानदंड और गुणवत्ता विनियमित करने और उन पर निगरानी के निमित्त व्यवस्था है।

सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा का इतिहास

भारत में अध्यापक शिक्षा व्यवस्था का जन्म शिक्षा के साथ ही 2500 शताब्दी पूर्व हुआ। अध्यापक शिक्षा व्यवस्था को निम्न पांच भागों में विभाजित किया जा सकता है-

प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा 2500ई. पू. से 500 ई. पू.

बौद्ध कालीन शिक्षा 500 ई. पू. से 1200 ई.

मुस्लिम कालीन शिक्षा 1200से 1700 ई.तक

ब्रिटिश कालीन शिक्षा 1700 से 1947ई.तक

स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा 1947 से अब तक

इस प्रकार अध्यापक शिक्षा के इतिहास को दो भागों-स्वतंत्रतापूर्व और स्वतंत्रता पश्चात में बांटा जा सकता हैं।

भारत में स्वतंत्रतापूर्व अध्यापक शिक्षा का इतिहास

प्राचीन और मध्यकालीन शिक्षा में अध्यापक की व्यवस्था के संबंध में अधिक साक्ष्य नहीं है। समाज के चार वर्णों में से केवल ब्राह्मण वर्ग ही समाज को शिक्षित बनाने का कार्य करता था तथा वह ज्ञान अर्जन तथा ज्ञान प्रदान करना अपना मुख्य कर्तव्य समझता था। इस समय में शिक्षा छात्रों और अध्यापक के मध्य द्विमुखी प्रक्रिया थी।ब्राह्मण शिक्षा देकर अपना जीविकोपार्जन करते थे। उस समय प्रशिक्षण प्रदान करने वाली कोई औपचारिक संस्था नहीं थी ।छात्र अपने गुरु, माता- पिता या अभिभावक से ही प्रशिक्षित होते थे ।इस प्रकार यह एक अनुवांशिक प्रक्रिया थी। शिक्षण कला को अध्यापक अपने परिवार के माध्यम से सीखता था। शिक्षण व्यवसाय एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त होता था।

बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था में यह धारणा बनी कि शिक्षण का व्यवसाय केवल ब्राह्मणों की ही धरोहर नहीं है, अपितु किसी भी वर्ग या समुदाय का कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति प्रशिक्षण उपरांत अध्यापक का दर्जा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार औपचारिक अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था इस काल में शुरू हुई अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था के द्वारा शिक्षण व्यवसाय विकसित किया गया। अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी बनी परंतु यह प्रशिक्षण बुद्ध की धर्म शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए थी ना कि

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

विद्यालय के अध्यापकों के लिए दी गई थी ।कोई भी व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दो अवस्थाओं को पार करके भिक्षु अध्यापक स्तर के योग्य माने जाते थे ।भिक्षुनैतिकता के आचरण तथा धर्म और अनुशासन का प्रशिक्षण प्राप्त करते थे।ये इन तत्वों को केवल सैद्धांतिक रूप से ही नहीं अपितु जीवनचर्या में भी करते थे। जब तक कि उनके निरीक्षण करता उनसे संतुष्ट न हो जाए। निरीक्षण करताओं के संतुष्ट होने पर वह अध्यापक व्यवसाय को अपनाने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेते थे। प्रशिक्षित भिक्षुओं की विधि एक विशेष प्रकार की व्यवस्था पर आधारित थी ।जो कि मॉनिटोरियल व्यवस्था कहीं जाती थी ।इस प्रकार से अध्यापक शिक्षा को औपचारिक व्यवस्था सामने आयी। इस प्रकार शिक्षण एक अच्छे व्यवसाय के रूप में समझा गया।

मुस्लिम काल में अध्यापक शिक्षण की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं थी। केवल मौलवी ही अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। यह केवल धार्मिक शिक्षा ही देते थे। इस समय अध्यापकों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था ।मौलवी ही मदरसों में अध्यापक के रूप में कार्य करते थे। मुस्लिम काल में किसी भी पद की नियुक्ति के लिए कोई व्यवसायिक प्रशिक्षण आवश्यक नहीं समझा जाता था। शैक्षिक संस्थाओं में केवल मुस्लिम वर्ग के व्यक्ति ही मदरसों में पढ़ाने के लिए योग्य समझे जाते थे।

जब अंग्रेज भारत आए तो ब्रिटिश कालीन शैक्षिक व्यवस्था इंग्लैंड कीशैक्षिक व्यवस्था के अनुसार भारत में भी स्थापित की गई। भारत में अध्यापक शिक्षा के औपचारिक व्यवस्था के रूप में सर्वप्रथम डेनमार्क के मशीनरियों ने सीरामपुर(पश्चिम बंगाल) में एक औपचारिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। यह मशीनरियों की व्यक्तिगत संस्था थी।भारत में अध्यापकों के प्रशिक्षण के संबंध में यह पहला कदम था ।इसके बाद भारत में नार्मल विद्यालय खोले गए। जिनमें सर्वप्रथम मद्रास, मुंबई और कोलकाता यह तीन मुख्य नार्मल विद्यालय खोले गये । इन संस्थाओं में कार्य शुरू होने के बाद सरकार ने अन्य भागों में भी नार्मल विद्यालयों की स्थापना की 1824 में इन संस्थाओं की संख्या बढ़कर 26 पहुंच गई।

ब्रिटिश काल में अध्यापक शिक्षा को तीन हिस्सों मॉनिटोरियलव्यवस्था, अध्यापक प्रशिक्षण तथा अध्यापक शिक्षा में बांटा जा सकता हैं । भारत में सन 1787 में मद्रास में प्राइमरी स्तर पर मोनिटोरियल व्यवस्था को स्थापित किया गया ।सन 1819 में बंगाल के कोलकाता स्कूल समाज में लेनकास्ट्रियन व्यवस्था को अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए शुरू किया गया ।सर्वप्रथम थॉमस मुनरो ने सन 1826 में अध्यापकप्रशिक्षण के क्षेत्र में योजनाबद्ध प्रयास किया ।सन 1857 में उत्तर प्रदेश में आगरा, मेरठ, बनारस और इलाहाबाद में नार्मल स्कूलों को

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

स्थापित किया गया। हर्टग कमीशन ने सन 1882 में प्राथमिक शिक्षा में सुधार तथा अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय की व्यवस्था पर बल दिया। कुछ नॉर्मल स्कूल को स्थापित किया गया। परंतु माध्यमिक प्रशिक्षण की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया ।19वीं शताब्दी के अंत तक देश में माध्यमिक अध्यापकों के लिए छात्रप्रशिक्षण विद्यालय मद्रास, लाहौर, राजमुंद्री, करसोम, जबलपुर और इलाहाबाद में थे।

विश्वविद्यालय एक्ट 1904 ने माध्यमिक स्तर के प्रशिक्षण विद्यालय के विकास के लिए संस्तुतियां की गई। जिससे प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए ।सन 1906 मुंबई में एक प्रशिक्षण विद्यालय खोला गया। सन 1912 में सरकार ने संस्तुतियां की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में उचित योग्यता प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी अध्यापक को पढ़ाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। सन 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर बल दिया जो कि प्रशिक्षण विद्यालय की समस्याओं को हल करेंगे ।इसके परिणामस्वरूप से 1921 तक 13 शिक्षा विभाग की स्थापना की गई।इस समय तक अध्यापक प्रशिक्षण का प्रशासनिक स्तर तीन प्रकार से था 1. स्नातक स्तर (एल.टी.) 2.इंटर स्तर (सी.टी.) 3. प्राइमरी स्तर (एच.डी.सी.)।1854 वुड डिस्पैच ने अध्यापकों के प्रशिक्षण और शिक्षा के महत्व पर बल दिया। वुड डिस्पैच की रिपोर्ट के आधार पर अनुदान देने के लिए एक नया सिद्धांत बनाया गया। जिसमें अनुदान देने का आधार किसी स्कूल में प्रशिक्षित अध्यापकों की संख्या को माना गया। जिसके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षित अध्यापकों की मांग बढ़ी इससे अध्यापकों के प्रशिक्षण को अधिक महत्व मिला।सन1856 में मद्रास में प्रथम माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूल स्थापित हुआ जो कि राज्य के नॉर्मल स्कूल कहा गया ।इसमें प्राइमरी तथा माध्यमिक दोनों ही स्तरों के अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया। सन 1880 में लाहौर में इसी के समान माध्यमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान और शुरू हुआ। सन 1882 में भारतीय शिक्षा की अनियमितताओं की जांच के लिए भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अनियमितताओं को दूर करने के लिए कुछ सुझाव दिए- जैसे कि स्कूलों के विकास के साथ साथ प्रशिक्षण संस्थाओं को भी विस्तृत किया जाना चाहिए ।आयोग ने अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक परीक्षा क्रियान्वित करने की सलाह दी। जिसमें सिद्धांत के साथ-साथ प्रयोगत्मक परीक्षा होनी चाहिए ।इसमें उत्तीर्ण होने वाले ही अध्यापककोशिक्षण करने योग्य माने जाने चाहिए। आयोग ने एक और सुझाव देते हुए कहा कि प्रशिक्षण स्कूलों की व्यवस्था स्नातकों के लिए अलग अस्नातकों के लिए अलग होनी चाहिए।लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा और प्रशिक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान दिया। उन्होंने भारत में अध्यापक प्रशिक्षण की

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

आवश्यकता को और महत्व देते हुए कहा- यदि विद्यालय शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाना है तो अध्यापकों को अच्छी प्रकार से प्रशिक्षित होना चाहिए।19वीं शताब्दी के अंत तक देश में अध्यापक शिक्षा के विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की गई और उन्हें अधिक सुविधापूर्ण बनाया गया। भारतीय शिक्षा आयोग 1982 ने कुछ सिफारिशें अध्यापक प्रशिक्षण के सुधार के लिए की जैसे- शिक्षण संस्थाएं अच्छी प्रकार से साधन संपन्न हो, सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में अभ्यास के लिए विद्यालय जुड़े होने चाहिए, अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम को सैद्धांतिक पृष्ठभूमि और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण से युक्त होना चाहिए, प्रशिक्षण संस्था और विद्यालयों के बीच आपसी तालमेल होना चाहिए तथा स्नातकों के लिए एक वर्षीय विश्वविद्यालय डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए तथा अस्नातकों के लिए दो वर्षीय पाठ्यक्रम की व्यवस्था होनी चाहिए । सन 1919 में कोलकाता विश्वविद्यालय के सुधार के लिए सैडलर आयोग का गठन हुआ। जिसमें आयोग ने कुछ सुझाव दिए-1. प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। 2. शिक्षा में स्नातकोत्तर (एम.एड.) की उपाधि हो। 3.शिक्षा को इंटरमीडिएट स्तर पर एक विषय के रूप में पढ़ाया जाये।सन 1929 में ब्रिटिश शिक्षा शास्त्रियों ने दोबारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में संशोधन किया औरहर्टाग समिति का गठन किया गया। जिसमें इस कमेटी ने अध्यापकों के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम की व्यवस्था शुरू करने की सिफारिश की और इसी कमेटी की सिफारिशों के बाद शिक्षा में अनुसंधान डिग्री भी शुरू की गई। सन 1944 में सार्जेंट कमिशन शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बनाया गया। इस कमीशन कीसंस्तुतियां इस प्रकार थी- स्नातक अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए जो कि विश्वविद्यालय विभागों या विद्यालय द्वारा शुरू हो। कमीशन ने तीन प्रकार के प्रशिक्षण विद्यालय खोलने के सुझाव दिए 1. प्राइमरी स्कूल के लिए अध्यापक तैयार करने वाले प्रशिक्षण विद्यालय, 2. प्राइमरी स्तर के लिए प्रशिक्षितअध्यापकों के लिए प्रशिक्षण विद्यालय, 3. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए जूनियर प्रशिक्षण विद्यालय।

स्वतंत्र भारत में अध्यापक शिक्षा का इतिहास

हमारा देश 1947 को स्वतंत्र हुआ।- स्वतंत्र प्राप्त करने के पश्चात भारत सरकार के सामने विभिन्न प्रकार की अनेकों समस्याएं आएं परंतु फिर भी भारत सरकार ने शिक्षा के महत्व पर बल दिया सरकार को प्रशिक्षित अध्यापकों और स्कूलों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता महसूस हुई यह कहा गया कि शिक्षा व्यवस्था और सकता ओं की पूर्ति नहीं कर रही है साथ ही यह माना गया कि अध्यापक शिक्षा केवल अध्यापक प्रशिक्षण ही नहीं है इसमें स्नातक अध्यापकों की आवश्यकता होगी इस मांग को पूरा करने के लिए आयोगों ने अधिक प्रशिक्षण कॉलेजों को शुरू

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

करने पर बल दिया स्वतंत्रता प्राप्ति के समयतीन केंद्र बनारस आगरा और इलाहाबाद में स्नातक अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता था 1947 से पूर्व बी.एड.में संबंधित नहीं थे उस समय बहुत से प्रशिक प्रशिक्षित अध्यापक कम वेतन पर अध्ययन का काम कर रहे थे। माध्यमिक स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षित करने वाले केवल 42 प्रशिक्षण कॉलेज थे ।सफलता प्राप्ति के बाद बहुत से आयोगों का गठन हुआ। जिन्होंने अध्यापक शिक्षा के लिए बहुत सारी सिफारिशें की कुछ सिफारिशों को अमल में भी लाया गया। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद 1948 में राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद थे जिन्होंने इस आयोग की अध्यक्षता की इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में आया जिसकी अध्यक्षता डॉ ए एल मुदालियर ने की डॉक्टर मुदालियर मद्रास विश्वविद्यालय में 13 वर्षों से वाइस चांसलर थे।सन 1964 में डॉ डी कोठारी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने व्यवसायिक शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था की कमियों को बताया तथा इस आयोग ने भारत में शिक्षा व्यवस्था पर अपनी व्यापक रिपोर्ट दी।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं ने पहली बार विचार किया और 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित की। भारत ने 1986 में नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय विकास के व्यापक एवं महत्वपूर्ण संकल्प की पूर्ति के लिए प्रकाशित की। सन 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई और उसी वर्ष उस इसकी कार्ययोजना भी प्रकाशित कर दी गई तथा 1987 में इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया। परंतु इस बीच 1989 में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार सत्ता में आयी सरकार के बदले ही शिक्षा नीति में परिवर्तन पर विचार किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 3 वर्ष बाद ही मई 1990 में इसकी समीक्षा के लिए राम मूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया इसे राममूर्ति समीक्षा समिति 1990 कहा जाता है।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन के संबंध में राममूर्ति समिति ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1990 में प्रस्तुत की। इस समिति ने भी अध्यापक शिक्षा की समीक्षा की और पाया कि अध्यापक शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है। समिति ने अध्यापक शिक्षा को दक्षता पूर्ण बनाने पर बल देने की बात कही।1992 में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन की समीक्षा करने हेतु श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक नई समिति का गठन किया। इस समिति ने अध्यापक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया की किसी भी स्तर के अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रणाली में सुधार किया जाए तथा प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में की जाए।1973 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया केंद्र और राज्य स्तरीय सरकार को अध्यापक शिक्षण के

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संदर्भ में आने वाली मुश्किलों और भिन्न-भिन्न समस्या के समाधान हेतु जरूरी परामर्श देने के उद्देश्य से इस परिषद को गठित किया गया। बाद में 1995 ई. में एक विधेयक के माध्यम से इस परिषद को वैधानिक दर्जा दिया गया और एन.सी.ई.आर.टी. के समान ही स्वायत्त शासित होने का अधिकार मिल पाया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सेवा पूर्व तथा सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम का मूल्यांकन और सुधार हेतु योजनाओं का निर्माण करती है ।परिषद द्वारा ही अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और मानदंड तैयार करती है।तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1 सितंबर 1966 को समिति पंजीकरण अधिनियम 1807 के तहत राष्ट्रीयशैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। इसके चार क्षेत्रीय महाविद्यालय अजमेर, मैसूर,भुवनेश्वर, तथा भोपाल में है ।एनसीईआरटी के तहत अध्यापक शिक्षा इकाई भी कार्य करती हैं। एन.सी.ई.आर.टी.के प्रयत्न से ही माध्यमिक अध्यापक शिक्षण स्तर स्तरोन्नयन का कार्य संभव हो सका है।शिक्षा पर नवीन राष्ट्रीय नीति के 1986 के निर्माण के बाद परिषद के द्वारा विद्यालय शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नामक एक पुस्तक हाल ही में 2005 तैयार की गई जिसमें 1988 के दस्तावेज का आधुनिकरण किया गया है। इस पुस्तक में अध्यापक शिक्षा के बारे में विभिन्न चिंताओं का वर्णन किया गया है ।राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अध्यापक शिक्षण के क्षेत्र में सामान्य और विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करती रहती है।

इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक आयोग और समितियों का गठन हुआ । इनआयोगों और समितियोंनेअध्यापक शिक्षा के बारे में विभिन्न संस्तुतियां दी।इन संस्तुतियों के आधार पर एन.सी.टी.ई.,एन.सी.ई.आर.टी.जैसी निकाय स्थापित किये गई और आज इन्हीं समितियों और निकायों से भारत में अध्यापक शिक्षा का एक बहुत बड़ा ढांचा तैयार हो चुका है।

सेवापूर्व अध्यापक-शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रम

सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के लिए भारत में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए अलग-अलग कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं ।वर्तमान में भारत में सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों के लिए संचालित किये जा रहें पाठयक्रम निम्न प्रकार हैं -

• प्राथमिक अध्यापक शिक्षा (ई.टी.ई.) – विद्यालय शिक्षा के 12 साल बाद, अध्यापक शिक्षा में दोसाल का डिप्लोमाजिसे जिला शैक्षिक प्रशिक्षण संस्थान (डी.आई.ई.टी.) के साथ साथ एन. सी. टी. ई. से मान्यता प्राप्त

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

संस्थानों द्वारा संचालित किया जाता हैं तथा यह कक्षा 1-5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापकों को तैयार करता है। साथ ही स्नातक होने के बाद दो वर्षीय पाठ्यक्रम (बी.टी.सी./जे.बी.टी.)भी 1-8 स्तर के अध्यापक तैयार कर रहा है।

• **बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) -** स्नातक होने के बाद, शिक्षा में स्नातक दोवर्ष का कार्यक्रम जोकक्षा 6-10तक में पढ़ाने के लिए अध्यापकों को तैयार करता है।स्नातकोत्तर के बाद, शिक्षा में स्नातक दो वर्ष का कार्यक्रम जो कक्षा 6-12 तक में पढ़ाने के लिएअध्यापक तैयार करता हैं । वर्तमान में एन.सी.टी.ई. ने बैचलर ऑफ एजुकेशन योग्यता प्राप्त छात्रध्यापकों को छ: महीने के ब्रिज कोर्स करने के बाद प्राथमिक अध्यापक बनने के योग्य मान लिया हैं।

• 12 साल की विद्यालयी शिक्षा के बाद चार साल का एकीकृत कार्यक्रम (बी.ए. बी.एड. /बी.एस-सी. बी.एड.)जो कक्षा6-10 तकमें पढ़ाने के लिए अध्यापकतैयार करता है।

• प्राथमिक शिक्षा में चारवर्ष स्नातक (बी.एल.एड.) - 12 साल की विद्यालय शिक्षा के बादकक्षा 1-8 तकमें पढ़ाने के लिए अध्यापकतैयार करता है।

सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा के लिए विभिन्न आयोगों एवं समितियों की सिफारिशे एवं सुझाव

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अध्यापक शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया गया ।भारत में अध्यापक शिक्षा के लिए विभिन्नसमितियों/आयोगों का गठन किया गया हैं। भारत की अध्यापक शिक्षा इन्ही शिक्षा समितियों/आयोगों की विभिन्नर रिपोर्टों में निहित सिफारिशों पर आधारित है, जिनमें से महत्वयपूर्ण हैं : कोठारी आयोग (1966), चट्टोपाध्याय समिति (1985), राष्ट्री य शिक्षा नीति (एन पी ई 1986/92), आचार्य राममूर्ति समिति (1990), यशपाल समिति (1993) एवं राष्ट्री य पाठ्यचर्या ढॉचा (एन सी एफ, 2005)। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारअधिनियम(2009),का देश में अध्यापक शिक्षा के लिए महत्व्पूर्ण निहितार्थ है।

सन 1948 में ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया।सन 1949में आयोगों ने अपनी रिपोर्ट में शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में कई संस्तुतियां दी–प्रशिक्षण विद्यालयो में पाठ्यक्रम परिवर्तन कर पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यावहारिक और अभ्यास शिक्षण कार्यको महत्व दिया गया ।अध्यापन के लिए उपयुक्तविद्यालयों का चुनाव हो तथा पाठ्यक्रम लचीला व स्थानीय वातावरण के अनुरूप हो।व्यक्तियों को एम्oएडo डिग्री के लिए प्रोत्साहितकिया जाये तथा अवकाश के समय अध्यापकों को पुनश्चर्या

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

पाठ्यक्रम चलाने का प्रबंधन किया जाए और व्याख्यान,प्रदर्शनी यात्रा भ्रमण आदि को भी माध्यम के रूप मे अपनाया जाये ।माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53)ने अध्यापक प्रशिक्षण के संदर्भ मे कहा हैंकि प्रशिक्षण संस्थान दो प्रकार के होने चाहिए जिसमें उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए उनके प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष की होनी चाहिए। इन्होने प्रथम प्रकार की संस्थानों को एक बोर्ड के अधीन तथा स्नातकों की प्रशिक्षण संस्थानों को विश्वविद्यालय के अधीन होने की सिफारिश की।राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा 1992 में स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई है कि अध्यापक शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है जो सेवा से पूर्व व सेवा के पश्चात अनवरत आवश्यक तथा प्रेरणादायी होनी चाहिए ।आवश्यकता इस बात कि हैं कि सम्पूर्ण अध्यापक शिक्षा तंत्र एवं शिक्षण प्रक्रिया सैदव समाज की व्यापक व नवीन आवश्यकताओं के अनुकूल होनी चाहिए।दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी अध्यापक शिक्षा कार्यकर्मो को गंभीरता से लिया गया था और कहा गया कि"शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को उन्नत अद्यतन बनाना है ।" किसी भी संस्था में दी जा रही शिक्षाकी गुणवत्ता अध्यापकों की सक्षमता पर निर्भर करती हैं ।यह बात कोठारी शिक्षा आयोग(1964-66) ने महसूस की थी ।उसमें कहा गया था कि अध्यापकों की सक्षमता शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक होता है ।आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि अध्यापकों के लिए सार्थक एवं आवश्यकता आधारित कौशलों के विकास हेतु नवीन प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंताकि अध्यापकों की प्रभावशीलता, आत्मविश्वास एवं शिक्षणव्यवहारअधिकतम हो सके।राममूर्ति समिति 1990 का गठन 1986 की शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए किया गया था । इस कमिटी से कोई सार्थक परिणाम नहीं मिले बस औपचारिकता मात्र रही । समिति ने अध्यापक प्रशिक्षण के लिए एक इंटर्नशिप मॉडल अपनाने की बात कही तथा संस्तुति की कि जो भी आधार संरचना हैं उसका बेहतर प्रयोग हो तथा साथ-ही साथ मितव्ययिता को भी ध्यान रखा जाये।। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कहा गया है कि वर्तमान अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम अध्यापकों को एक ऐसी व्यवस्था में समायोजन करने के लिए प्रशिक्षण देता है जिसमें शिक्षा के बारे में यह माना जाता है कि उसमें केवल सूचनाओं का प्रसार होता है। पाठ्यचर्या सुधारों के प्रयास को अध्यापक प्रशिक्षण का उचित समर्थन नहीं मिल पा रहा है। बड़े पैमाने पर पैरा अध्यापकों की बहाली से अध्यापकों की पेशेवर पहचान प्रभावित हुई है ।अध्यापक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रुपरेखा (एन.सी.एफ.टी.ई.,2009) ने पाया कि अध्यापक की तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभ्यास शिक्षण हैं ।जिसकीगुणवत्ता पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नही दिया जा रहा हैं तथा

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

लगातार उसकी उपेक्षा की जा रही हैं। सामान्य भारतीय शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि पाठयक्रमके दो भागो में से केवल एक पक्ष सैद्धांतिक पक्षपर ज्यादा ध्यान दिया जाता हैं। इसी कारण सैद्धांतिक पक्षदूसरे पक्ष व्यावहारिक या अभ्यास शिक्षण पर हावी है और अभ्यास शिक्षण विभिन्न प्रकार की अपर्याप्तता से ग्रस्त है।भारत में अध्यापक शिक्षा का दृष्टिकोण गुणवत्ताकेपरिप्रेक्ष्यमेंभारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अध्यापक शिक्षा पर उच्च-स्तरीय आयोगन्यायमूर्ति वर्मा आयोग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एम.एच.आर.डी., 2012) की रिपोर्ट मेंकहागया है किभारत देश में विद्यालयअनुभव (इंटर्नशिप) कार्यक्रम जो कि एकअभ्यास शिक्षणमॉडलपरआधारित हैं। छात्राध्यापकों को एक अध्यापक के रूप में काम करने का अनुभव टुकडो में प्रदान करता है क्योंकिहमारे देश में शिक्षण चिंतनशीलअभ्यास के बजायएक मशीन की तरह निश्चित दिए गये पाठों की संख्याओंका अभ्यास मात्र हैं।

सेवापूर्व अध्यापक शिक्षा में कौशल विकास हेतु चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रम

अध्यापक शिक्षा के तीन मुख्य घटक हैं।एक सैद्धांतिक जिसके द्वारा छात्राध्यापकों में संज्ञानात्मक विकास हो सके। दूसरा व्यावसायिक जिसके माध्यम से छात्राध्यापकों मेंमूल्यों और व्यवहारगत विकास हो सके तथा तीसरा प्रयोगात्मक,जिसके द्वारा कौशलों का विकास हो सके।अध्यापक शिक्षा के लिएराष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा(2009)मं् पाठ्यक्रम में तीन व्यापक पाठ्यचर्या क्षेत्र शामिल करने की बात कही गयी हैं। जिनमें एकशिक्षा में परिप्रेक्ष्य तथा दूसरा पाठ्यचर्या और शिक्षणशास्त्रीय अध्ययन जिसके द्वारा सैधांतिक विषयों को रखा गया हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्णक्षेत्र अनुभव को जिसके द्वारा छात्राध्यापकों में मूल्यों, व्यवहारगत तथा कौशलोंका विकास हों।

क्षेत्र अनुभव-स्वयं, बच्चा, समुदाय और विद्यालय

यह पाठ्यक्रम अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्वयं, बच्चा,सामुदायिक और विद्यालयके साथ निरंतर जुड़ाव प्रदान करेगाऔर विभिन्न पाठ्यचर्या क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित रखेगा।बी.एड. के पहले वर्ष मेंकम से कम 4 सप्ताह तक क्षेत्र में काम किया जाएगा, जो पूरे साल में पूरा करना होगा। इन चार सप्ताहों में से एक सप्ताहविद्यालय के लिए और तीन सप्ताहों अन्य कार्यक्रमों के लिए शामिल होंगे।दूसरे वर्ष मेंकम से कम 16 सप्ताह का क्षेत्र कार्य होगा। जिसमें 14 सप्ताह विद्यालयअभ्यास शिक्षण के लिए हैं और दो सप्ताह अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों के लिए है।इस प्रकार क्षेत्र अध्ययन के अन्तर्गतदो वर्षों में कम से कम 20 सप्ताह (4+16)

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

टास्क,असाइनमेंट और विद्यालयअभ्यास शिक्षण हेतु आवंटित किये जाऐंगे शामिल होगे। इसी प्रकार बी.ए.-बी.एड./बी.एस-सी.-बी.एड.के लिए भी20 सप्ताहक्षेत्र अनुभव के लिए रखा गया हैं ।20 सप्ताहक्षेत्र अनुभव को फिर 4 सप्ताह और 16 सप्ताह में बांटा गया हैं । चार साल के एकीकृत पाठ्यक्रमों में यह क्षेत्र अनुभव दूसरे, तीसरे और चौथे वर्षों में किया जायेगा ।

इस पाठ्यचर्या क्षेत्र में तीन घटक होंगे-

- टास्क और असाइनमेंट
- विद्यालयअभ्यास शिक्षण
- व्यावसायिक क्षमताओं में वृद्धि के पाठ्यक्रम (ईपीसी)(Courses on Enhancing Professional Capacities) (EPC)

a. ईपीसी 1(EPC1): रीडिंग एंड रेफ्लेक्टिंग ऑन टैक्सेज

b. ईपीसी 2(EPC2): शिक्षा में नाटक एवं कला

c. ईपीसी3(EPC 3): आई. सी. टी. की गहरी समझ

d. ईपीसी4(EPC4): स्वमं की समझ

टास्क और असाइनमेंट (Tasks and Assignments)

दो पाठ्यचर्या क्षेत्रों 'शिक्षा में परिप्रेक्ष्य' और 'पाठ्यचर्या और शैक्षणिक अध्ययन' में विभिन्न टास्क औरपरियोजनाओं के माध्यम से समुदाय, विद्यालयऔर विद्यालय में और विद्यालय के बाहर छात्र के साथ फील्ड अंगेजमेंट का कार्य करेगें।ये कार्य और परियोजनाएं फील्ड आधारित अनुभवों के साथ अध्यापक शिक्षा कक्षा में अध्ययन किए गए दृष्टिकोण और सैद्धांतिक रूपरेखाओं में मदद करेंगी।

विद्यालयअभ्यास शिक्षण(इंटर्नशिप)

इंटर्नशिप की व्यवस्था इस अवधारणा पर आधारित है कि जीवन के वास्तविक अनुभववास्तविक परिस्थितियों से ही प्राप्त किये जा सकते हैं।उद्देश्यपरक शिक्षण कैसे किया जाए और विद्यार्थियों को आवश्यक अधिगम के लिए कैसे प्रेरित किया जाए के साथ छात्राध्यापकों के लिए यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि विद्यालय जीवन में होने वाली अन्य विभिन्न गतिविधियों का सफल संचालन कैसे किया जाए।इंटर्नशिप छात्राध्यापकों के विद्यालय जीवन में होने वाले विभिन्न क्रियाकलापों, गतिविधियों व उत्तरदायित्व को समझने सीखने व प्रशिक्षण प्रदान करने

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

की व्यवस्था है ।इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को छात्र अध्यापकों को विद्यालय जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से परिचित कराना तथा उनके निर्वहन में कुशलता प्राप्त करना है।विद्यालय के इन कार्यों में प्रमुख है प्रार्थना सभा, समय सूची का निर्माण व उसे लागू करना,खेल गतिविधियों का संचालन,उपस्थित पंजिका का प्रयोग,शुल्क एकत्रीकरण, शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक क्रियाओं का संचालन, उपकरणों व सामग्रियों का क्रय व रखरखाव,विद्यालय बैठकों का आयोजन,स्टॉक रजिस्टर बनाना, आदि ऐसे कार्य है जिन्हें छात्र अध्यापक इंटर्नशिप के माध्यम से आत्मसात कर सकते हैं।

वर्तमान समय में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा बी.एड. कार्यक्रम एक वर्ष से बढ़ा करदो वर्ष की अवधि का कर दिया गया हैं। इसी के संदर्भ में NCTE ने विद्यालय प्रशिक्षण की रुपरेखा तथा उसके लिए दिशा निर्देश दिए हैं । आज स्वयं से सीखना तथा निर्माणवाद से शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया पर बल दिया जा रहा हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने इसी को ध्यान मे रख कर शिक्षण के बारे में छात्राध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में बदलाव किया हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्राध्यापकों को ऐसे अवसर देते हैं जहां एक तरफ वे शैक्षिक सिद्धांतों तथा शिक्षाशास्त्रीय अवधारणाओं के अभ्यासों से जुड़ सके, वही दूसरी ओर वास्तविक विद्यालयी व्यवस्था में सैद्धांतिक प्रस्ताव की वैधता को परख सकें। अध्यापक शिक्षा में विद्यालयी प्रशिक्षण अब बीस सप्ताह का होगा। दो वर्षीय कार्यक्रम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के लिए जिसको दो भागो चार सप्ताह और सोलह सप्ताह में बांटा गया हैं। सोलह सप्ताह को भी फिर चौदह सप्ताहविद्यालयी प्रशिक्षण तथा दो सप्ताह सामुदायिक कार्य में बांटा गया हैं। NCTE विनिमय 2014 के अनुसार बी.एड. कार्यक्रम कोविद्यालयी प्रशिक्षण प्रथम वर्ष दो सप्ताह तथा द्वितीय वर्ष अठारह सप्ताह में बांटा गया हैं। छात्राध्यापकों को विद्यालय में पूरे समय रह कर स्थायी अध्यापकों की तरह विद्यालय के प्रधानाचार्य के निरीक्षण में कार्य करना चाहिए तथा इन्हें विद्यालय तथा विद्यालय के बाहर की सभी पाठयक्रम तथा पाठसहगामी क्रियाओं मे भाग लेना चाहिए। प्रशिक्षण के समय इस प्रकार छात्राध्यापकों विद्यालय तथा विद्यालय के वातावरण को समझें, विद्यालय के पाठ्यक्रम तथा पुस्तकों का विश्लेषण करे। उन्हें स्थायी अध्यापकों तथा साथी छात्राध्यापकों के कक्षा शिक्षण का अवलोकन करना चाहिए। छात्राध्यापकों को पाठ योजना,इकाई योजना,प्रश्न-पत्र तैयार करने चाहिए। छात्राध्यापकों को एक डायरी तैयार करनी चाहिए। जिसमे वह हर दिन के क्रिया कलापों पर चिंतन कर सकें। इन सब गतिविधियों से छात्राध्यापकों कों विभिन्न प्रकार के अनुभव होगें। शिक्षण अभ्यास पूर्व छात्राध्यापक के लिए विभिन्न शिक्षण कौशलों में दक्षता प्राप्त करने के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थानों में सूक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जिसमें छात्राध्यापकविभिन्न कौशलों जैसे-प्रस्तावना कौशल,प्रश्न प्रवह कौशल,मौन एवं अशब्दिक कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्यान कौशल, स्पष्टीकरण एवं उदहारण कौशल, अनुशीलन प्रश्न कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल तथा समापन आदि कौशलों का अभ्यासकरते है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

एनसीटीई अधिनियम, 2014 के अनुसार विद्यालय इंटर्नशिप की अवधि के संबंध में प्रासंगिक शर्तों को संक्षेप में दिया गया है:

बैचलर ऑफ एज्युकेशन (बी.एड.)

क्र.सं.		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	योग
1.	इंटर्नशिप अवधि	2 सप्ताह (2nd सेमेस्टर)	18 सप्ताह (तृतीय सेमेस्टर)	20 सप्ताह
2.	कुल कार्यक्रम क्रेडिट	40	40	80
3.	इंटर्नशिप क्रेडिट्स	4	16(14+2)	20
4.	कुल निर्दिष्ट अंक	1000	1000	2000
5.	इंटर्नशिप के लिए निर्दिष्ट अंक	100	400	500
6.	क्रेडिट मामले में भार	10%	40%	25%
7.	अंक के मामले में इंटर्नशिप का भार	10%	40%	25%

बी.ए.-बीएड/बी.एससी.-बी.एड.

क्र.सं.		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चर्तुथ वर्ष	योग
1.	इंटर्नशिप अवधि	-	02 सप्ताह (4^{th}सेमेस्टर)	02 सप्ताह (6^{th}सेमेस्टर)	16 सप्ताह (7^{th}सेमेस्टर)	20 सप्ताह
2.	कुल कार्यक्रम क्रेडिट	14	10	18	44	86
3.	इंटर्नशिप क्रेडिट्स	-	02	02	16(14+2)	20
4.	कुल निर्दिष्ट अंक	350	250	450	1100	2150

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

5.	इंटर्नशिप के लिए निर्दिष्ट अंक	-	50	50	400	500
6.	क्रेडिट मामले में भार	-	20%	11.11%	36.3%	23.25%
7.	अंक के मामले में इंटर्नशिप का भार	-	20%	11.11%	36.3%	23.25%

अभ्यास शिक्षण (इंटर्नशिप) के दौरान छात्राध्यापकों के कार्य इंटर्नशिप के दौरान, छात्र-अध्यापकों को कक्षा शिक्षण,कक्षा प्रबंधन तथा सामुदायिक-आधारित गतिविधियों के शिक्षण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को करना आवश्यक है।इनगतिविधियों को करने से छात्र-अध्यापकों की क्षमता, दक्षता और कौशल प्रदर्शन करने कीसमझ में विकासहोगा । छात्राध्यापकों द्वाराइंटर्नशिप की गतिविधियों को अलग-अलग वर्ष में पूरा करना होगा । कुछ ऐसी गतिविधियां जो छात्राध्यापकों इंटर्नशिप के दौरान करेगे, निम्न अनुसार दी गई हैं- इंटर्नशिप विद्यालय और आसपास के समुदाय को समझना,विद्यालय मेंपढ़ाते हुए दो विषयों की निर्धारित पाठ्यक्रमों की इकाइयों का अध्यापन करना, एक विकल्प अध्यापक के रूप में शिक्षण करना,साथी छात्र-अध्यापकों की कक्षा अध्यापन का अवलोकन करना,शिक्षण-अधिगम संसाधनों कोविकसित और तैयार करना,विद्यालय के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण करना, नियमित अध्यापकों के कक्षा अध्यापन का अवलोकन करना,इंटर्नशिप विद्यालय का केस अध्ययन तैयार करना और विद्यालय द्वारा अपनायी गयी अन्य गतिविधियों को करना, पाठ योजनाओं और इकाई योजनाओं की तैयारी करना, एक प्रश्न पत्र और अन्य मूल्यांकन उपकरण तैयार करना, सामुदायिक कार्य, समुदाय सर्वेक्षण, विद्यालयी शिक्षा क्षेत्र की कम से कम एक समस्या पर क्रिया अनुसंधान परियोजना को तैयार करना,किसी एक छात्र का केस अध्ययन, निदान परीक्षणों और उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन,दिन-प्रतिदिन की घटनाओं और प्रतिबिंबों को रिकॉर्ड करने के लिए एक चिंतनशील डायरी या पत्रिका तैयार करना, एक चयनित विषय पर एक टर्म पेपर लिखना आदि ।अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान और इंटर्नशिप विद्यालय स्थानीय विशिष्ट जरूरतों के आधार पर अतिरिक्त गतिविधियों को तैयार कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की इकाइयों का चयन करते समय, छात्र-अध्यापकजिस विद्यालय में इंटर्नशिप करेगें उस विद्यालय द्वारा तैयार की गई वार्षिक अनुदेशात्मक योजना का पालन भी करेंगे।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

स. व्यवसायिक क्षमताओं में वृद्धि के लिए पाठ्यक्रम (ई.पी.सी.) Courses on Enhancing Professional Capacities (EPC)

पुरे कार्यक्रम के दौरान छात्र-अध्यापक की व्यवसायिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कई अन्य विशेष पाठ्यक्रम भीदिए गये हैं।

इन ई.पी.सी. पाठ्यक्रमों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा सेवा पूर्व अध्यापक शिक्षा में निम्नानुसारव्यवसायिक क्षमताओं में वृद्धि के लिए पाठ्यक्रम दिए गये हैं:

I. ग्रंथों को पढ़ना और प्रतिबिंबित करना (Reading and Reflecting on Texts)

II. शिक्षा में नाटक और कला (Drama and Art in Education)

III. आईसीटी की गंभीर समझ (Critical Understanding of ICT)

IV. स्वयं को समझना (Understanding the Self)

उपसंहार

किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अध्यापक का है ।प्राचीन काल में यह धारणा थी कि अध्यापकजन्मजात होते हैं परंतु 20 वी शताब्दी के पूर्वार्ध में विश्व के लगभग सभी देशों में स्वीकार किया जाने लगा कि प्रशिक्षण देकर श्रेष्ठ व सुयोग्य अध्यापक तैयार किए जा सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता पूर्व अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का विकास की गति बहुत धीमी थी | परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में अध्यापक शिक्षा संस्थानों का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ और 21वीं शताब्दी में निरंतर प्रगति से अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की संख्या बढ़ती जा रही है| जिनमें सर्वाधिक संख्या स्ववित्तपोषित माध्यमिक अध्यापक संस्थाओं की है। इन अध्यापक शिक्षासंस्थानों में छात्राध्यापकों के लिए कौशल विकास के विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में सिद्धांत पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष को भी महत्व दिया गया है। व्यवहारिक पक्ष के माध्यम से छात्र अध्यापकों में विभिन्न शिक्षण कौशल और शिक्षण कौशलों से इतर कौशल विकास के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।वर्तमान अध्यापक शिक्षा पाठयक्रम में व्यावहारिक कार्य पर बल दिया गया हैं । व्यावहारिक कार्यों में एक शिक्षण अभ्यास प्रोजेक्ट, मनोविज्ञान प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्री, सामुदायिक कार्य सेवा की क्रियाएं तथा व्यवसायिक क्षमताओं में वृद्धि के लिए पाठयक्रमआदि आते हैं। अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की विविधता एक अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाएं प्रस्तुत करती है ।अध्यापक शिक्षा में विभिन्न कार्यक्रमों पाठ्य सहगामी

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

क्रियाकलाप, कार्यानुभव एवं अनेक शिक्षण कौशल का विकास करके उन्हें निष्ठावान अध्यापक बनाया जा सकता है ।वर्तमान अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम में छात्र अध्यापको के लिए नवीन शिक्षण तकनीकी सहायक सामग्री एवं विधाओं को सिखा कर प्रभावी अध्यापक बनाने का अवसर प्रदान किया जा रहा है।वर्तमान जरूरत के अनुसार अध्यापक शिक्षा में अध्यापकों के व्यवसायिक विकास के लिए बहुत सारे प्रावधान किए हैंअध्यापक प्रशिक्षकों को स्वयं उन सब गुणों में प्रवीण होना चाहिए जिनका विकासअपने छात्र अध्यापकों में करना चाहते है।छात्र अध्यापक को पूरे दिन विद्यालय में रहकर विभिन्न अनुभव करने के अवसर प्रदान किये जा रहे है। परंतु जरूरत इस बात की है कि इन कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, 1948- 49 भारत सरकार, नई दिल्ली।
माध्यमिक शिक्षा आयोग, 1952-53 भारत सरकार, नई दिल्ली ।
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, 1964 66 भारत सरकार, नई दिल्ली
राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 भारत सरकार, नई दिल्ली
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (पुनरीक्षा समिति), 1990, भारत सरकार नई दिल्ली
बस्ते के बोझ से मुक्ति (प्रोफेसर यशपाल समिति), 1993, भारत सरकार, नई दिल्ली
अध्यापक शिक्षा में नीतिगत परिदृश्य, (2001) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
अग्रवाल, बी.बी. (1996) आधुनिक भारतीय शिक्षा और समस्याएं विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा
मियां, मोहम्मद 2004 प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, मित्तल पब्लिकेशन,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली
अध्यापक शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 www.nete-india.org
राय, रूमा (2009) न्यू चैलेंज इन टीचर एजुकेशन, एजूट्रैक, फरवरी 2009, वॉल्यूम 8, नवंबर 6
शरतेन्दु, दुबे सत्यनारायण (नवीन संस्करण 2014): अध्यापक शिक्षा शारदा पुस्तक भवन,पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स इलाहाबाद
भट्टाचार्य जी.सी.(2016 -17): अध्यापक शिक्षा अग्रवाल: पब्लिशर्स, आगरा.

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies